मातृभूमि अर्पण योजना से अपने जिले को संवार सकेंगे प्रवासी

अमर उजाला ब्यूरो

कैबिनेट ने दी मंजूरी, देश-विदेश में योजना का होगा व्यापक प्रचार-प्रसार

विकास कार्यों का 60 फीसदी देना होगा, बाकी धन राज्य सरकार देगी

फैसला 10

लखनऊ। राज्य सरकार देश-विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अपने गृह जिले को संवारने के लिए मातृभूमि अर्पण योजना लेकर आई है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अथवा निजी संस्था किसी नगर निकाय में विकास कार्य, अवस्थापना सुविधाओं का विकास कराना चाहता/चाहती है तो उसे कुल लागत की 60 फीसदी रकम देनी होगी। शेष राशि का बंदोबस्त राज्य सरकार करेगी। कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग देश-विदेश में रहते हैं। इनमें से तमाम सुविधा-संपन्न लोग अपने शहर के विकास में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित प्लेटफॉर्म नहीं होने से वह योगदान नहीं दे पाते हैं। इस योजना में योगदान करने वालों का नाम शिलापट्ट, भवन और अवस्थापना सुविधा के ऊपर लिखा जाएगा। इससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। योजना के तहत दानकर्ता द्वारा दी गई धनराशि को एस्क्रो खाते में जमा कराया जाएगा। तत्पश्चात 30 दिन में संबंधित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति की कार्यवाही संबंधित जिले के डीएम कराएंगे। कार्य की प्रगति रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। योजना के तहत कार्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए जियो टैगिंग भी कराई जाएगी। इस योजना का प्रचार प्रसार करने के साथ विभिन्न देशों के भारतीय दूतावासों का सहयोग लिया जाएगा। डीएम के जरिए उनके जिले के देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेश में रहने वाले लोगों को पत्र भेजा जाएगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्तूबर को होने वाले कार्यक्रमों में ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।